



क्रमांक— 99/अतिथि व्याख्याता/2026

जालबांधा, दिनांक 20/07/2026

// अतिथि व्याख्याता हेतु संक्षिप्त विज्ञापन //

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर के पत्र क्रमांक ESTB/23066/2026-O-O ADDITIONAL DIRECTOR नवा रायपुर, दिनांक 17.07.2026 के अनुसार प्राचार्य, नवीन शासकीय महाविद्यालय, जालबांधा, जिला—खैरागढ़—छुईखदान—गंडई (छ.ग.) में विषय— भौतिकशास्त्र में अध्यापन व्यवस्था हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक अपने समस्त प्रमाण-पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन दिनांक **31/07/2026** को सायं **05:30** बजे तक केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करें) प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता—

- अतिथि व्याख्याता एवं अतिथि शिक्षण सहायक अधिकारियों को कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख-रखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम, 2018 के प्रावधानों के अनुरूप होगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए परन्तु अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए।
- आयु सीमा— अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक अधिकतम 65 वर्ष तक।
- छत्तीसगढ़ में अतिथि व्याख्याता भर्ती नियमों के अनुसार यदि प्रावीण्य सूची में समान श्रेणी के दो अभ्यर्थियों के अंक समान होने की स्थिति में छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

विषय/पदों का विवरण :—

क्रमांक	विषय	रिक्त पद एवं संख्या				
		प्राध्यापक	सह-प्राध्यापक	सहायक प्राध्यापक	ग्रंथपाल	क्रीड़ा अधिकारी
1	भौतिक शास्त्र	0	0	1	0	0

टीप :— संबंधित विषयों में नवीन नियुक्ति/नियमित पदस्थापना या स्थानांतरण के फलस्वरूप पद भर जाने पर उक्त पद के विरुद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की सेवा स्वतः समाप्त हो जावेगी।

शर्त :-

- आवेदन के साथ मूल निवासी प्रमाण पत्र, 10वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, सेट/नेट, एम. फिल/पी—एच. डी., अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।
- दिनांक **31/07/2026** तक कार्यालयीन समय सायं **05:30** बजे तक डाक के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं। निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवेदनों को ही गुणानुक्रम सूची में शामिल किया जावेगा। ई—मेल से भेजे गये आवेदन को मान्य नहीं किया जावेगा। वर्तमान में आफलाईन अथवा डाक के माध्यम से आवेदन स्वीकार किये जा रहे हैं। भविष्य में आवेदन स्वीकार करने की इस प्रक्रिया में आनलाईन पोर्टल तैयार होने पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन संभावित होगा।
- अंतिम तिथि तक महाविद्यालय में प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार मेरिट सूची तैयार की जावेगी।
- प्राप्त आवेदनों की पदवार अनंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन दिनांक **05/08/2026** को महाविद्यालय के सूचना पटल व वेबसाइट <https://govtjalbandhacollege.ac.in> पर प्रकाशित किया जावेगा। वेबसाइट में विस्तृत विवरण भी अपलोड किया जायेगा।
- गुणानुक्रम अनुसार अनंतिम सूची में दावा आपत्ति की तिथि **08/08/2026** तक होगी।
- अंतिम सूची का प्रकाशन महाविद्यालय की वेबसाइट <https://govtjalbandhacollege.ac.in> एवं सूचना पटल में दिनांक **10/08/2026** को किया जायेगा।

07. आमंत्रित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के समय इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि संबंधित के विरुद्ध पुलिस/न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, साथ ही अभ्यर्थी किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में नहीं है एवं पूर्व में किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में शिकायत/कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने के आधार पर अभ्यर्थी की सेवाये समाप्त नहीं की गई है।
08. आवेदन उपरान्त संबंधित आमंत्रित चयनित अभ्यर्थी यदि समय सीमा में कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं होता है तो उसे उस दशा में अगले चरणों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
09. अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य की सेवायें भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं होगा।
10. अतिथि व्यवस्था के अंतर्गत देय मानदेय निम्नानुसार होगा :-

क्रमांक	विवरण	अतिथि व्याख्याता	अतिथि शिक्षण सहायक
1	प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	2000 /-	1400 /-
2	प्रतिमाह अधिकतम मानदेय	50000 /-	35000 /-

11. आवेदक बंद लिफाफे के ऊपर पत्राचार का पता प्राचार्य, नवीन शासकीय महाविद्यालय, जालबांधा, जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गंडई (छ.ग.) पिन कोड-491444 एवं आवेदित विषय/पद आवश्यक रूप से लिखे।
12. इस विज्ञापन के तहत व्यवस्था किए गए अतिथि व्याख्याता एवं अन्य को महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माना जायेगा और वे लोक-सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं कहलायेंगे।
13. संस्थान में इस व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत, यदि लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उनकी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी जिसकी कार्यवाही संबंधित संस्था प्रमुख द्वारा की जावेगी।
14. इन्हें सर्वत्र अनुशासन बनाए रखना होगा तथा संस्था प्रमुख के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
15. कक्षाओं के संचालन के साथ-साथ संस्था प्रमुख के निर्देशानुसार अध्यापन के अतिरिक्त कार्य यथा प्रवेश, परीक्षा, छात्रसंघ चुनाव, योजनाओं का संचालन, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रीडा गतिविधियाँ, युवा उत्सव, आंतरिक परीक्षाओं का संचालन एवं मूल्यांकन, नैक मूल्यांकन संबंधी कार्यों में ये सहयोग प्रदान करेंगे।
16. यदि कार्य अवधि के शैक्षणिक सत्र में इनकी अध्यापन कार्य संबंधी अथवा अन्य शिकायतें प्राप्त होती है तो सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा वे आगामी शैक्षणिक सत्रों में अध्यापन कार्य हेतु पात्र नहीं होंगे।


प्राचार्य

नवीन शासकीय महाविद्यालय, जालबांधा,
जिला - खैरागढ़-छुईखदान-गंडई (छ.ग.)

पृष्ठां. क्र.- 100/अतिथि व्याख्याता/2026

जालबांधा, दिनांक 20/07/2026

1. आयुक्त, उच्चशिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
2. अपर संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय परिसर, दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
3. छ. ग. राज्य के समस्त विश्वविद्यालयों/अग्रणी महाविद्यालयों/स्वशासी महाविद्यालयों/शासकीय महाविद्यालयों को सूचनार्थ।


प्राचार्य

नवीन शासकीय महाविद्यालय, जालबांधा,
जिला - खैरागढ़-छुईखदान-गंडई (छ.ग.)